


12



समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व ~~वेड~~ मंडल ग्वालियर,
जिला-जबलपुर, म०प्र०

रा.अ.प्र.कं.- अपील-5887/2018/कटनी भू-रा.

671

अपीलार्थी:- मेसर्स एडवर प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा श्री सर्वपल्ली बंदी नारायण, निवासी- डाबर इंडिया लिमिटेड पडुवा कटनी, म०प्र०

श्री. राजस्व शाखा
अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुत दिनांक 25/09/2018
15 SEP 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर

विरुद्ध

अपीलार्थी:- मध्यप्रदेश शासन
अपील अंतर्गत धारा 44(1) म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि:-

Not press
J. Kumar
25-9-18

अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त अपील विचारण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, कटनी, जिला-कटनी द्वारा रा.प्र.कं. 04/अ-25/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 08/05/2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

अपील के तथ्य


1. यह कि, अपीलार्थीगण उपरोक्त पते का निवासी है और मेसर्स एडवर प्राइवेट लिमिटेड, में उपरोक्त कार्य के लिये अधिकृत किया गया है।
2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा कंपनी की ओर से अधिकृत होकर ग्राम मटवारा, प.ह.नं. 78, रा.नि.मं. स्लिमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, स्थित खसरा नंबर-400/2, 419, कुल रकवा 0.55 हेक्टेयर, आवेदक के भूमिस्वामी हक की भूमि के बदले शासकीय भूमि ख.नं. 373, रकवा 4.92 हेक्टेयर, भूमि में से 0.55 हेक्टेयर, भूमि तबादले में दिये जाने की मांग की गइरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा गया। और उसके द्वारा नामांतरण कर दर्ज कराया गया है।
3. यह कि, आवेदक कंपनी द्वारा उपरोक्त ग्राम में वृक्षारोपण का कार्य

Handwritten mark

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील/5887/2018/कटनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रों आदि के हस्ताक्षर
5-10-18	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार खरे उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत प्रकरण आगे न चलाने के कारण प्रकरण (नोट प्रेस) में समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	